



भारत सरकार  
Government of India  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ  
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 11<sup>th</sup> Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696  
Email : roc.lko-mcf@nic.in, goimocfrolko@gmail.com

पत्र सं: 8बी/यू0पी0/09/94/2023/एफ.सी./37/

दिनांक: 13.10.2023

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

**ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/49462/2020**

विषय: जनपद आगरा में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) आगरा द्वारा बाईपुर एवं शहर रेंज के अंतर्गत डी.एस.ए.टी.पी. के निर्माण हेतु बाईपुर वन ब्लॉक, बाबरपुर वन ब्लॉक, मऊ वन ब्लॉक एवं ताज वन ब्लॉक की 0९९०२४ हे० आरक्षित वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 569/11-सी- FP/UP/Others/49462/2020, दिनांक 04.09.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 1008/81-2-2023-800(30)/2023, दिनांक 18.04.2023 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के सम-संख्यक पत्र दिनांक 31.05.2023 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आवश्यक जानकारी/सूचना मांगी गयी थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गयी है। प्रेषित अनुपालना पर परीक्षणोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना/जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध कराएं ताकि प्रकरण में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके:-

1. As per the Revised KML file area proposed for diversion is 0.96 ha which is still not matched with the proposal area. According to the Geo-referenced map positional error has been found. The shape of the KML file is also not matched with the Geo-referenced map, for example, KK Nagar. Geo-referenced map/ KML file of the area proposed for diversion may need to be revised.
2. The revised kml file has been uploaded, but as per the DSS, the proposed CA land partially falls under the Forest land. This may need to be rectified.
3. Geo-referenced cadastral of the proposed CA land may need to be submitted.
4. The visibility of the SOI toposheet of the proposed CA land is poor. This may need to be re-uploaded with high dpi.
5. As per part-ii of the proposal, zero trees are proposed while as per KML file some trees are visible on the area proposed for diversion.

भवदीय,

(डॉ० प्रणय मिश्रा)

सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
4. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, आगरा।

पत्रांक - 1737/14-1 दिनांक - 01-11-23

प्रति - परियोजना मुख्यालय यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई

उ०प्र० जल निगम आगरा जो इस निर्देश के साथ प्रेषित किया गया था

आपत्तियों का निवारण हेतु अनुपालन कार्रवाई लक्ष्य के अंतर्गत



काई।

A. K.